न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय बक्सर।

सत्रवाद संख्या–191/2024

<u>आदेश</u>

<u>18.07.2025</u> अभिलेख प्रस्तुत हुआ। अभियुक्त विकास वर्मा और संतोष पासवान की उपस्थिति नहीं है। अभिलेख का अवलोकन किया, अभियुक्तगण काफी दिनों से अनुपस्थित चले आ रहे हैं। उसकी उपस्थिति हेतु सारी प्रक्रिया निर्गत की गई है, फिर भी उपस्थित नहीं हुए। अभियुक्तगण के निकट भविष्य में उपस्थित होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को फरार घोषित किया जाता है। तद्नुसार कार्यालय अभियुक्तगण के विरूद्ध स्थायी अधिपत्र निर्गत करें तथा फरार पंजी में अंकित कर विधि अनुसार अभिलेख अभिलेखागार में इस निर्देश के साथ जमा करें कि वह विनष्ट नहीं किया जाए।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
बक्सर।
18.07.2025